टिप्पणी

7

कानून (विधि) की प्रविधियां (तकनीक) एवं निवारण (प्रतिकार)-I

दुनिया में कानून बनाने वालों तथा तोड़ने वालों के बीच हमेशा प्रतिस्पर्द्धा चलती रहती है। जीवन के हर स्तर पर खास तौर पर बौद्धिक स्तर और प्रौद्योगिकी का विकास इसका प्रमुख कारण है। इसीलिए कानून निर्माताओं और समाधान या उपचारों के बीच हमेशा उलझन बनी रहती है, जिसे प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है-अपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता। कानून निर्माताओं के सामने समस्या यह है कि अपराध-कर्ता को दंड कैसे दें। जाने-माने विधि-वेत्ताओं और विधि शोधकर्ताओं ने दंड देने की प्रक्रिया को लेकर अपने-अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें अपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सूचीबद्ध किया है। पूरे विश्व में हुए अपराधों के लिए दिए गए दंडों का विशेषत्व और मूल्यांकन करते हुए इस प्रकार के तकनीकों का विकास हुआ। कानून की प्रविधियां और उपचार इस प्रसिद्ध कथन पर आधारित है कि ''प्रत्येक ऐसा विशिष्ट अपराध, जिसके लिए कोई व्यक्ति आरोपित है, उस पर वह अलग से आरोपित होगा और हर ऐसे अपराध के लिए उस पर अलग से अभियोग चलाया जाएगा।''

उद्देश्य

यह पाठ पढ़ने के पश्चात् आप-

- 'अपराधिक कानून' के बारे में जान पाएंगे,
- 'सिविल कानून' को समझ पाएंगे,
- विभिन्न प्रकार के दंडों की पहचान कर पाएंगे,
- 'अभिवचन' (pleading) का अर्थ जान सकेंगे और इसके सिद्धांतों की व्याख्या कर पाएंगे,
- 'प्रारूपण' का अर्थ जान पाएंगे और उसके सिद्धांतों को समझ पाएंगे,
- सिविल कानून के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न उपचारों की व्याख्या कर पाएंगे,

- अपराधिक कानून के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न उपचारों को जान पाएंगे,
- रिट या 'लेख' एवं उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कर पाएंगे एवं
- जनहित याचिका (PIL) के अर्थ को स्पष्ट कर पाएंगे।

7.1 दंड के प्रकार/दंड के विभिन्न सिद्धांत

दंड के विभिन्न प्रकार दंड के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है। वे इस प्रकार हैं-

निवारक सिद्धांत

दंड प्राथमिक रूप से वहां निवारक है, जहां उसका उद्देश्य अपराध को व्यर्थ सिद्ध करना है और जिसके द्वारा दूसरों को सबक मिल सके। इस सिद्धांत और दंड के प्रकार के पीछे उद्देश्य यह है कि 'अपराध अपराधी के लिए एक गलत सौदा है'। इस प्रकार इस सिद्धांत के मानने वाले बड़े दंड अर्थात् प्राणदंड आदि देने की हिमायती हैं।

निरोधक सिद्धांत

इस सिद्धांत का उद्देश्य अन्याय करने वालों को निर्योग्य या विकलांग बना देना है और अपराधी के मन में दंड का भय पैदा करना है। यह सिद्धांत निम्नलिखित तीन प्रकारों का काम करता है-

- अपराधी के मन में दंड का भय उत्पन्न करना।
- अपराधी को तत्काल कोई अपराध करने से रोकने के लिए अक्षम (अपाहिज) बना देना
- अपराधी को सुधारात्मक और शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा उसमें बदलाव लाना, जिससे वह दोबारा अपराध न करे।

इस सिद्धांत के समर्थक कारावास या जुर्माना आदि दंड की वकालत करते हैं।

सुधारात्मक सिद्धांत

इस सिद्धांत के अनुसार 'अपराध' किसी चरित्र और अपराधी की स्वभाव के बीच संघर्ष से पैदा होता है। इस सिद्धांत का उद्देश्य अपराधी के चरित्र को मजबूत बनाना, जिससे वह अपना आत्मनिरीक्षण कर मानसिक स्थिति पर नियंत्रण कर सके। इस तरह यह सिद्धांत इस उक्ति पर आधारित है कि 'आप हत्या के द्वारा उपचार नहीं कर सकते' और 'अपराध एक बीमारी के जैसा है।' यह सिद्धांत अपराधी के सुधार के लिए सुधारात्मक तरीके भी अपनाने का समर्थन करता है। यह प्रणाली रोजगार और स्व-रोजगार के साधनों का रास्ता खोलकर अपराधी को प्रेरणा देता है। इस तरह अपराधी कुछ कमाने लगता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उसका अपराध करने का कोई उद्देश्य नहीं रहता।

इस सिद्धांत के समर्थक जेल, परख-अवधि, सुधार-गृहों और व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि के पक्षधर हैं।

दंड की इन अवधारणाओं सीमाबद्ध कारावास तथा बंदी गृह के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि यह समानार्थक माने जाते हैं और दोनों का प्रयोग भी एक-दूसरे के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों में निम्न अंतर है। बंदीगृह ऐसा स्थान है, जहां अपराधी कुछ अवधि के लिए सजा काटता है, जबकि सीमाबद्ध कारावास में लंबे समय तक सजा काटनी होती है। बंदीगृह में सीमाबद्ध कारावास की तुलना में कम सुविधाएं उपलब्ध है। बंदीगृह में अपराधी को सिर्फ खाना, रहना और सुरक्षा की सुविधा उपलब्ध है, जबकि सीमाबद्ध कारावास में इन सुविधाओं के अलावा बहुत कुछ अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

प्रतिकारी सिद्धांत

इस सिद्धांत के अनुसार न्याय की प्रशासन व्यवस्था मूलत: किसी भी बौद्धिक प्रक्रिया प्रतिकारी के भावनाओं का प्रायश्चित करने के लिए प्रयत्न करता है। इस तरह की सजा न केवल पुराने निजी प्रतिशोध के गलत इरादे का प्रायश्चित करती है, बल्कि विस्तृत रूप से समाज में उसी तरह की भावनाओं का शमन भी करती है। यह सिद्धांत प्रतिशोधात्मक न्यायिक विचार पर आधारित है, यानी दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। यह सिद्धांत इस प्रकार है कि अगर कोई स्त्री/पुरुष दूसरे किसी स्त्री/पुरुष के आंख खोने का जिम्मेदार हैं तो उसकी अपनी आंख भी खो सकती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पैर पर हमला करता है तो दूसरा व्यक्ति भी उस पर हमला कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे का दांत तोड़ता है तो दूसरा उसका दांत भी तोड़ सकता है। कांत महोदय के दंड प्रतिकारी सिद्धांत के अनुसार दंड किसी परिणाम द्वारा उचित नहीं ठहराया जाता, लेकिन अपराधी के अपराध के द्वारा सरल किया जाता है। अपराधी को अपने किए हुए अपराध का फल तो भुगतना है, नहीं तो अन्याय होगा। इसके अलावा अपराध को देखते हुए दंड तय किया जाना चाहिए। कांत ने दावा किया है कि हत्या अपराध के लिए अपराधी की मृत्यु एकमात्र सही दंड है। उन्होंने कहा है कि ''जो कोई भी हत्या का अपराध करे, उसकी सजा मौत है।''

क्षतिपूर्ति सिद्धांत

इस सिद्धांत के अनुसार दंड का मूल उद्देश्य न केवल भविष्य में होने वाले अपराध को रोकना, बल्कि अपराधी के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। इस सिद्धान्त का यह भी मानना है कि अपराध करने का मुख्य कारण लोभ होता है। अत: यदि अपराधी को अपराध से कमाये गये धन या लाभ को लौटाने का आदेश दिया जाता है तो अपराध समाप्त हो जाएगें।

पाठगत प्रश्न 7.1

1. 'दंड' के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख करें।
2. 'दंड' के क्षतिपूर्ति सिद्धांत की क्या मान्यता है?
3. क्या 'दंड' आवश्यक है?

7.2 'अभिवचन' (Pleadings) और उसके विभिन्न सिद्धांत

इंग्लैंड के हाब्सव्यूरी कानून के अनुसार, सिविल मुकदमें में न्यायालय में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य में लिखित रूप से दस्तावेज तैयार करने के लिए 'अभिवचन' का उपयोग किया जाता है।

पी.सी. मोघा के अनुसार 'अभिवचन' किसी विवाद में प्रत्येक पक्ष द्वारा न्यायालय में मुकदमें की सुनवाई के दौरान लिखित रूप में दिए गए कथन एवं तर्क है, जिनमें ऐसी सभी तथ्यों का ब्योरा या जानकारी होती है, जिनकी विपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आवश्यकता होती है।

'अभिवचन' के विभिन्न सिद्धांत

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI नियम-2 के अनुसार, 'अभिवचन' के विभिन्न सिद्धांत इस प्रकार हैं-

प्रत्येक **''अभिवचन' में तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए, कानून का नहीं'':**

'अभिवचन' लिखते समय मूलत: दो नियमों पर जोर दिया जाता है- इनमें पहला सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक। पहले नियम के अनुसार अभिवचन में तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए और दूसरे के अनुसार कानून का उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि अभिवचन में निम्न बातों का उल्लेख नहीं होना चाहिए-

(क) कानून के प्रावधान

(ख) कानून के निष्कर्ष एवं

(ग) मिश्रित कानून तथा तथ्यों के निष्कर्ष

न्यायालय स्पष्ट कारणों से, विवाद के पक्षों द्वारा अपनी दलीलों में उठाए गए तथ्यों से सम्बन्धित कानून का नोटिस लेने के लिए बाध्य है। इस प्रकार यदि किसी विवाद में 'अपने आप ही' न्यायालय को यह पता चलता है कि पुलिस के उपमहानिरीक्षक द्वारा जिस नियम या कानून के अन्तर्गत याचिका को खारीज किया है वह अधिकार से परे है, और इस लिए अमान्य है, तो न्यायालय का यह दायित्व है कि खारिज करने के ऐसे आदेश को वह गैर-कानूनी या अवैध घोषित कर दे।

इस नियम के निम्न अपवाद हैं-

(क) विदेशी कानून-न्यायालय विदेशी कानून को ध्यान में रखने के लिए मजबूर नहीं।

(ख) रीति-रिवाज

(ग) कानून और तथ्यों के मिश्रित प्रश्न

(घ) कानूनी तर्क एवं

(ङ) कानून के अनुमान

प्रत्येक अभिवचन को वस्तुपरक तथ्य और केवल वस्तुपरक तथ्य प्रकट करने चाहिए

इस सिद्धांत के निम्न तीन पक्ष या पहलू होते हैं –

(क) हर 'अभिवचन' केवल वस्तुपरक तथ्यों को प्रकट करे। एक 'अभिवचन' में अधिभार की समस्या से निपटने के लिए दूसरा नियम यह कहता है कि केवल वस्तुपरक तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए। विधि-संग्रह के द्वारा दिया गया उत्तर यह है कि वस्तुपरक तथ्य वे तथ्य हैं, जो मुद्दई द्वारा मुकदमा दायर करने या प्रतिवादी निश्चित रूप से अपनी प्रतिरक्षा संस्थापित करने के आरोपी हैं।

(ख) हर 'अभिवचन' में अवश्य ही सारे वस्तुपरक तथ्यों को प्रकट करना चाहिए : एस.एन. बालकृष्ण बनाम जॉर्ज फर्नांडीस (एआईआर, 1969) के मुकदमें में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि एकल वस्तुपरक तथ्य का विलोपन (omission) एक अधूरी कार्रवाई के कारण की ओर ले जाता है और दावे का बयान खराब हो जाता है।

इस तरह वस्तुपरक तथ्यों का कोई भी विलोपन (omission) किसी भी कार्रवाई के कारणों की ओर नहीं ले जाता।

(ग) हर 'अभिवचन' केवल वस्तुपरक तथ्यों के बारे में कहना चाहिए, जो कार्रवाई के वर्तमान अवस्था की वस्तु (सामग्री) है। इस तरह प्रतिपक्ष के यथासंभव आपत्ति के बिना संदर्भ विशेष में विरोधी के जवाबों का पूर्वाभास करने की कोई आवश्यकता नहीं।

दूसरे नियम के अपवाद निम्नलिखित हैं-

(क) स्थिति-पूर्वता

एक पक्षकार को अपनी याचिका में प्रमाण देने के लिए किसी 'पूर्वस्थिति' का पालन करने की आवश्यकता नहीं। उदाहरण के तौर पर 'क' 'ख' के लिए निश्चित दर पर एक घर बनाने के लिए सहमत होता है। संविदा के शर्तानुसार 'ख' के निर्माता के प्रमाण-पत्र के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा कि इस परिमाण तक काम बचा है। अगर रुपये के लिए 'क' 'ख' के खिलाफ मुकदमा दायर करता है तो 'ख' को अपने निर्माता से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना और पेश करना 'क' के कार्रवाई के अधिकार की 'पूर्वस्थिति' है। यहां 'ख' के लिए जरूरी नहीं कि वह अपने अर्जी दावा में यह उल्लेख करें कि संबंधित प्रमाण-पत्र उसने प्राप्त किया है। वह बिना किसी प्रमाण-पत्र के अनुबंध रकम के लिए प्रत्यक्षत: अर्जी दावा का प्रारूप तैयार कर सकता है। यह 'ख' के लिए जो अभिवचन कर सकती है कि बचे हुए रकम के लिए कोई प्रमाण-पत्र दें।

(ख) विधि (कानून) का अनुमान

सीपीसी के आदेश VI, नियम 13 के अनुसार किसी भी 'अभिवचन' में आवश्यक किसी भी वस्तुस्थिति में आरोपित दूसरे पक्ष पर कानून यह अनुमान करे कि जब तक पहले यह विशेष रूप से खारिज न हो, प्रमाण का उत्तरदायित्व दूसरे पक्ष पर होता है। उदाहरण के लिए सिर्फ बिल पर ही अर्जी दावा होता है, न कि वास्तविक दावे पर विनिमय पत्र पर सोच-विचार किया जाता है।

(ग) प्रलोभन के मामले

कभी-कभी यह जरूरी है कि प्रारंभिक प्रकथन के साथ एक अर्जी दावा की शुरूआत की जाए, जिससे इस बात की जानकारी हो कि वे क्या कारोबार करते है, आपस में वे कैसे संबंधित या जुड़े हैं और विवाद संबंधी अन्य परिस्थितियां क्या-क्या है। ये सारे तथ्य कार्रवाई के कारणों के लिए जरूरी न होने की वजह से महत्वपूर्ण भी नहीं है। इसे प्रलोभन का विषय कहा जाता है। इंग्लैंड में यह मान्य है और उसी आधार पर हमारे देश में भी।

हर 'अभिवचन' में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए, जिस पर वह पक्ष अपने 'अभिवचन' में आधार बनना चाहता है और न कि ऐसे साक्ष्य, जो अभी प्रमाणित करने हैं। यह सिद्धांत यह निर्देश देता है कि 'अभिवचन' में वे सभी वास्तविक तथ्य होने चाहिएं, जिन पर कोई पक्ष अपना दावा पेश करना चाहता है, न कि ऐसे साक्ष्य जिनके द्वारा वह ऐसा प्रमाणित होता है। एक पक्ष द्वारा ऐसे साक्ष्य/ गवाह/ गवाही जिसके द्वारा वह तथ्यों को प्रमाणित करना चाहता है, का अभिवचन में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। यह अति आवश्यक है कि अभिवचन विरोधी पक्ष को परेशान करने वाला न हो और न ही ऐसे तथ्य जिनका अर्थात् प्रतिपक्ष को, मुकदमा चलने के दौरान सामना करना पड़े।

नियम का व्यावहारिक या विशेष प्रयोग

मानसिक स्थिति

आदेश-6, नियम-10 के अनुसार किसी विशेष वस्तु से संबंधित किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, कपटपूर्ण आचरण, अभिप्राय प्रकट करता हो, उस क्षेत्र में 'अभिवचन' में इसका प्रयोग किया जा सकता है।

नोटिस

आदेश 6, नियम 11 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति विवाद में शामिल हो तो उसे नोटिस दिया जा सकता है। इस क्षेत्र में नियम का प्रयोग किया जाता है।

सापेक्षित निहित संविदा

आदेश 6, नियम 12 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी संविदा या सापेक्ष में शामिल हो और उसे सूचना दी गई हो, उस स्थिति में इस नियम का प्रयोग किया जाता है। 'अभिवचन' लिखते समय इन नियमों का पालन करना चाहिए और यह मूल विषय से संबंधित हो। अभिवचन में अनचाहे विवाद, घटनाओं पर ध्यान न देकर विषय-वस्तु का सही वर्णन की भाषा पर ध्यान देना चाहिए।

अपवाद

रिट याचिकाओं और चुनाव याचिकाओं ही तीसरे नियम का एकमात्र अपवाद है। ऐसी याचिकाओं में शिकायत के समर्थन में सबूतों का उल्लेख होना जरूरी है।

हर 'अभिवचन' वस्तुगत तथ्यों को संक्षेप में, लेकिन सुस्पटता तथा असंदिग्धता के साथ व्यक्त करें। एक अच्छे 'अभिवचन' के लिए यह नियम दो अपेक्षित गुणों पर जोर देता है-(क) संक्षिप्तता, (ख) सुस्पष्टता या असंदिग्धता। उच्च न्यायालय, कोलकाता के पॉल जे. के अनुसार, 'अभिवचन' न केवल संक्षिप्त होने चाहिए, बल्कि स्पष्ट और असंदिग्ध होना चाहिए। इस तरह एक वाद पत्र (अर्जी दावा) को संक्षिप्त बनाने के लिए हमें तीन बातों पर ध्यान देना होगा-

(क) अनावश्यक शिकायतों को छोड़ देना होगा, (ख) जब वस्तुगत तथ्यों को लिया जाए, तब अनावश्यक विवरणों का छोड़ देना है। (ग) आरोपों में वर्णित वस्तुगत तथ्यो में भाषा पर सही ध्यान दिया जाए।

पाठगत प्रश्न 7.2

1. 'अभिवचन' शब्द की व्याख्या करें।
2. 'अभिवचन' के दो नियमों का वर्णन करें।

7.3 प्रारूपण और प्रारूपण के सिद्धांत

विधि और घटनाओं का भाषा में वर्णन को 'प्रारूपण' कहा जाता है। कानूनी तौर पर इसे याचिका दस्तावेज प्रस्तुत करना भी कहा जाता है। 'प्रारूपण' में कानूनी भाषा का प्रयोग होता है। कानूनी दस्तावेज तैयार करने के लिए 'प्रारूपण' में सही भाषा, नियम तथा घटनाओं का प्रयोग किया जाता है।

प्रारूपण के सिद्धांत

एक सही कानूनी दस्तावेज में दो प्रमुख तत्वों पर ध्यान दिया जाता है-(क) आयोजन, (ख) लेखन।

अच्छे प्रारूप के लिए आयोजन

एक अच्छे कानूनी दस्तावेज को लिखने के लिए तीन पहलू महत्वपूर्ण है।

उद्देश्य

इसे अर्थात् 'प्रारूपण' को क्या करना है? कानूनी भाषा में आप किस विषय का प्रारूपण तैयार करना चाहते हैं (जैसे-विधेयक, भाग या अनुभाग)?

ढांचा

पहले पूरी तरह संकल्पनात्मक ढांचा तैयार करना चाहिए, समूह सामग्री को विभिन्न भागों, उपभागों और अनुभागों आदि में बांटें।

क्रम

सामग्री का व्यस्थापन एक विधेयक या अधिनियम की संरचना का मूल तत्व है। सामग्री को एक तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए।

प्रारूपण का सही लेखन

एक अच्छे कानूनी दस्तावेज लिखने के लिए पांच महत्वपूर्ण पहलू हैं।

शीर्षक

अगर संभव हो तो उसका सारांश तैयार करें, अन्यथा कोई निर्दिष्ट शीर्षक इंगित करें। संक्षेप में, लिखें। विषय-वस्तु पर नजर रखते हुए उसका खुलकर प्रयोग करें।

अनुभाग

'प्रारूप' तैयार करते समय विषय-वस्तु का सही अनुभाग में तैयार करना अनिवार्य है। भाषा का सही प्रयोग भी आवश्यक है। किसी अनुभाग में पांच से अधिक उपभाग नहीं होने चाहिए।

वाक्य

पहले से ही मुख्य मुद्दों पर ध्यान दें (पाठक के दृष्टिकोण से)। वाक्यों की संक्षिप्तता और सरलता पर भी ध्यान दें। क्रिया, मात्रा आदि व्याकरणिक संदर्भों पर ध्यान दें।

शब्द

शब्दों का सरल, सहज प्रयोग करें, जिससे कि उसका अर्थ प्रकट हो। कोई लोकोक्ति शब्दों का प्रयोग न करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, जो पाठक की समझ में आए।

सामान्य

सामान्य रूप से सकारात्मक विवरण प्रस्तुत करें।

पाठगत प्रश्न 7.3

1. 'प्रारूपण' शब्द का वर्णन करें।
2. एक अच्छे कानूनी दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए दो मुख्य शीर्षकों या तत्वों का उल्लेख करें।

7.4 उपचारी उपाय

यह अनुभाग सिविल तथा फौजदारी कानूनों में उपलब्ध उपचारी उपायों के बारे में जानकारी देता है।

उपचार चार प्रकार के हैं-(क) क्षति या हानि, (ख) प्रत्यानयन, (ग) अवपीड़क, (घ) घोषणात्मक

उपचार : सिविल कानून

सिविल कानून में उपचार के तौर पर आर्थिक दंड विधान का प्रयोग किया जाता है। क्षति, नुकसान और कानूनी व्यय का सही आकलन करके मुआवजे की रकम तय की जाती है। उपचार विधि के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित है-

मुआवजा

यह रकम अदालत के द्वारा निर्धारित की जाती है। पीड़ित को अपनी क्षति की भरपाई के लिए अदालत ने दोषी को दंड देने का विधान किया है।

विशिष्ट या विशेष राहत या मदद

यह कानून 1877 ई. के विनिर्दिष्ट अनुतोष अनुच्छेद 1 में उल्लेख है। इससे पहले यह कानून सिविल दंड विधान (अधिनियम-आठ) के परिच्छेद 15 और 192 में निहित था। जिस व्यक्ति का नुकसान होता हे या उसका अधिकार छीना जाता है, उसी की भरपाई के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। उदाहरण के तौर पर जबरदस्ती किसी की जमीन पर कब्जा करना या किसी संविदा का पालन न करने पर यह नियम लागू किया जाता है।

उपचार : अपराधिक कानून

अपराधी मुकदमों में उपचार के तौर पर दंड की व्यवस्था की गई है। इसमें हर्जाने की रकम तय की जाती है। विभिन्न प्रकार के उपचार विधान इस प्रकार हैं-

क्षतिपूर्ति

यह एक ऐसी उपचार विधि है, जो पीड़ित को उसका वास्तविक नुकसान, दर्द, पीड़ा से राहत दिलाता है। कानून अपराधी को पीड़ित की क्षतिपूर्ति के लिए जुर्माने की व्यवस्था की है। कभी-कभी अदालत ने यह देखा है कि सिर्फ रुपयों से क्षतिपूर्ति नहीं होती, इसीलिए ऐसे मामलों में दंडात्मक क्षति दंड के रूप में व्यवस्था की है। दंडात्मक क्षति दंड में अदालत रूपयों के साथ-साथ कारावास का फैसला भी सुनाता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय रेल के द्वारा नियमों का उल्लंघन दंडात्मक क्षति-दंड के अंतर्गत आता है।

विशिष्ट राहत या मदद

यह कानून 1877 ई. के विशिष्ट राहत या मदद अनुच्छेद-1 में निहित है। इससे पहले यह कानून सिविल दंड विधान (अधिनियम VIII) के परिच्छेद 15 और 192 में निहित था। जिस व्यक्ति का नुकसान होता है या उसका अधिकार छीना जाता है, उसी की भरपाई के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। उदाहरण के तौर पर जबरदस्ती किसी की जमीन पर कब्जा करना या किसी संविदा का पालन न करने पर यह नियम लागू की जाती है।

पाठगत प्रश्न 7.4

1. सिविल विषय संबंधित 'उपचारों' का वर्णन करें।
2. निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए।
   (क) मुआवजा
   (ख) विशिष्ट राहत या मदद

7.5 'रिटस्'

संविधान उपचार अधिकार अधिनियम 32-35 के अनुसार कोई भी नागरिक अपनी मौलिक और कानूनी अधिकार की खातिर उच्चतम न्यायालय तक जा सकता है। संविधान के अधिनियम 32 के अनुसार कोई भी नागरिक रिटस् याचिका दायर कर सकता है। संविधान के अधिनियम 226 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना मौलिक और कानूनी अधिकार के लिए रिटस् याचिका दायर कर सकता है। इस तरह उच्च न्यायालय में अधिकार की सशक्तिकरण के लिए अधिक सुविधा उपलब्ध है।

- **बंदी प्रत्यक्षीकरण** का अर्थ 'आपके पास शरीर है'। यह किसी व्यक्ति विशेष अथवा कारागार की हिरासत में निरूद्ध बंदी के व्यक्ति स्वातंत्र्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अस्त्र है। इस तरह, अगर 'ए' व्यक्ति अवैध तरीके से 'ब' व्यक्ति के द्वारा निरुद्धित होती है तो उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट् दायर कर सकते हैं।
- **परमादेश** – इसका अर्थ है 'हमारा आदेश है'। परमादेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी आदेश का किसी भी प्रकार सरकारी कर्मकर्त्ता या उच्च पदाधिकारी को जनहित के लिए पालन करना कहा जाता है। जैसे कि कोई पुलिस अधिकारी शिकायत-नामा दर्ज न करने पर उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किया जा सकता है।
- **निषेधादेश** – निषेधादेश निम्नतर न्यायालयों, न्यायाधिकरणों अथवा न्यायिक कल्प अधिकारियों या सरकार के नाम पर जारी कर उन्हें अपनी अधिकार सीमा के उल्लंघन से बचने होने या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना न करने का आदेश दिया जाता है।

उत्प्रेषणादेश

यह निषेधादेश की तरह एक प्राचीन रिट है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को अपना दायरा उल्लंघन न करने की निर्देश दी जाती है।

अधिकारपृच्छा प्रादेश

यह अधिकारी के पद पर आसीन व्यक्ति के नाम पर जारी कर उससे प्रश्न किया जाता है कि किन प्रमाणों के द्वारा वह उक्त पद पर आसीन रहने के अधिकार का समर्थन करता है, और किन प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित किया जाए कि उस पद पर आसीन रहने का वास्तविक अधिकार उसे प्राप्त है।

पाठगत प्रश्न 7.5

1. पांच प्रकार की 'रिट्स' के नाम बताइए।
2. 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' की व्याख्या करें।

7.6 जनहित याचिका

जनहित याचिका संकल्पना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39ए में उल्लिखित है, जिसका मूल उद्देश्य कानून की सहायता से व्यक्ति की सामाजिक न्याय को सुरक्षित रखना। 1980 से पहले, सिर्फ पीड़ित पक्ष न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता था। इस तरह यह जरूरी नहीं था कि सिर्फ जो पीड़ित है, वही विस्तृत रूप से जनहित को सुरक्षित रखने के लिए अदालत से प्रार्थना कर सकता है। अदालत के अधिकारी या खुद अदालत विस्तृत रूप से जनहित की सुरक्षा के लिए 'Suo moto' लगा सकती है। हमारे मन में यह साधारण-सा सवाल खड़ा हो सकता है कि ये 'जनहित क्या है?' इस सवाल का उत्तर है कि जनता के हित के लिए कोई भी कार्य जनहित है। और ये कार्य इस प्रकार हैं- प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, विनिर्माण खतरा, रासायनिक खतरा आदि। इस प्रकार के हर कार्यकलापों में यह हम साफ देखते हैं कि जनहित व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है। इस खंड के अंतर्गत फाइल की गई जाना-माना मुकदमा है- राष्ट्रमंडल खेल के बाद विभिन्न खेल परिसंघों के विरुद्ध जनहित याचिका और 'सुभाष कुमार बनाम बिहार सरकार'। इस मामले में, एक व्यक्ति जो अपनी कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा बरखास्त किया गया था, वह अपनी कंपनी के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की थी। 'शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र सरकार', जिसमें बॉम्बे शहर के किसी जेल में महिला के प्रति हिंसा का व्यवहार किया गया था।

पाठगत प्रश्न 7.6

1. जनहित याचिका संकल्पना या धारणा की व्याख्या करें।
2. जनहित याचिका के कुछ कार्यकलापों/विषयों की सूची तैयार करें।

आपने क्या सीखा

- दंड के विभिन्न प्रकार दंड के विविध सिद्धांतों पर आधारित हैं। वे हैं- प्रतीकात्मक सिद्धांत, निषेधात्मक सिद्धांत, अवरोधक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत और प्रतिपूर्ति सिद्धांत।
- अभिवचन घटनाक्रम के तथ्यों पर आधारित है, नियमों पर नहीं।
- 'अभिवचन' लिखते समय घटना का विस्तृत विवरण देना जरूरी है। विवाद के मूल कारण तथा घटना के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करके न्यायालय को विचार को लिए मौका देना चाहिए।
- कानून तथा घटनाओं का भाषा में वर्णन को 'प्रारूपण' कहा जाता है। एक कानूनी दस्तावेज में दो प्रमुख तत्वों पर ध्यान दिया जाता है। अच्छे 'प्रारूपण' तैयार करने के लिए योजना बनानी चाहिए। अच्छे प्रारूपण लिखने चाहिए।

- फौजदारी तथा फौजदारी मामलों में विभिन्न प्रकार के उपचारी उपाय उपलब्ध है- मुआवजा तथा विशिष्ट राहत या मदद अनुतोष।
- रिट्स पांच प्रकार के हैं- (क) बंदी प्रत्यक्षीकरण, (ख) परमादेश, (ग) निषेधादेश, (घ) अधिकार पृच्छा प्रादेश, (ङ) उत्प्रेषणादेश।

पाठांत प्रश्न

1. सिविल कानून के विभिन्न प्रतीकारात्मक उपायों की संक्षेप में वर्णन करें।
2. सिविल कानून के अंतर्गत पीड़ितों के लिए उपलब्ध प्रतिकारों को सूचिबद्ध करें।
3. फौजदारी कानून के अंतर्गत पीड़ितों के लिए उपलब्ध प्रतिकारों को सूचिबद्ध करें।
4. सिविल प्रतिकारों और फौजदारी प्रतिकारों में क्या अंतर या भेद है?
5. दंड के 'सुधारात्मक सिद्धांत' की व्याख्या करें।
6. प्रतिकारात्मक सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांतों में क्या अन्तर हैं?
7. 'अभिवचन' लिखते समय किन बातों पर जोर दिया जाना चाहिए।
8. 'अभिवचन' का प्रारूपण तैयार करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?
9. 'प्रारूपण', 'अभिवचन' से किस तरह भिन्न है?
10. 'रिट' कितने प्रकार के हैं?
11. 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' और 'अधिकारपृच्छा' में क्या अंतर या भेद है?
12. दंड विधानों के विभिन्न तकनीकों का संक्षेप में वर्णन करें।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

7.1

1. दंड विधि के पांच सिद्धांत हैं-
   (क) प्रतीकात्मक सिद्धांत
   (ख) निषेधात्मक सिद्धांत
   (ग) अवरोधक सिद्धांत
   (घ) सुधारात्मक सिद्धांत
   (ङ) क्षतिपूर्ति सिद्धांत
2. यह एक ऐसी उपचार विधि है, जो पीड़ित को उसको वास्तवित नुकसान, दर्द, पीड़ा से राहत दिलाता है। इसे 'मुआवजा सिद्धांत' कहा जाता है। इस सिद्धान्त का मानना है कि अपराधी

लोभ के कारण ही कोई अपराध करता है अत: उसे जितना मुनाफा होता है, उसको उसे पीड़ित को लौटाना होगा।

3. हां, दोषी को 'दंड देना' अनिवार्य है। इससे अपराधी अपराध करने से डरता है। भिन्न-भिन्न अपराधों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के दंड विधान है।

7.2

1. पी.सी. मोघा के शब्दों में अभिवचन का अर्थ दोनों पक्ष मुकदमें के लिए विवाद संबंधित अपनी सफाई लिखित रूप से प्रस्तुत करना और समय-समय पर न्यायालय की जानकारी के लिए उसके सवालों का उत्तर भी देना है।
2. (क) हर 'अभिवचन' तथ्यों को प्रकट करता है।

   (ख) हर अभिवचन केवल वस्तुगत तथ्यों को ही प्रकट करता है।

7.3

1. कानून और घटनाओं का भाषा में वर्णन को 'प्रारूपण' कहा जाता है। कानूनी तौर पर इसे याचिका दस्तावेज प्रस्तुत करना कहा जाता है। 'प्रारूपण' में कानूनी भाषा का प्रयोग होता है। कानूनी दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रारूपण में सही भाषा, नियम तथा घटनाओं का प्रयोग किया जाता है।
2. एक सही कानूनी दस्तावेज में दो प्रमुख शीर्षकों या तत्वों पर ध्यान दिया जाता है- (क) आयोजन, (ख) लेखन।

7.4

1. (क) मुआवजा

   (ख) विशिष्ट राहत या मदद
2. (क) पीड़ित व्यक्ति के हानि, दर्द को कम करने के लिए मुआवजा एक प्रतिकार है।

   (ख) पीड़ित व्यक्ति की हानि तथा उसकी भरपाई के लिए विर्निदिष्ट अनुतोष में व्यवस्था की गई है। यह कानून 1877 ई. के विर्निदिष्ट अनुतोष अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है।

7.5

1. पांच प्रकार के 'रिट्स' हैं-

   (क) बंदी प्रत्यक्षीकरण,

   (ख) परमादेश,

   (ग) निषेधादेश,

   (घ) अधिकार पृच्छाप्रादेश,

   (ङ) उत्प्रेषणादेश।

2. 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' का अर्थ 'आपके पास शरीर है'। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति को जिसे गैर कानूनी तौर पर बन्दी बनाया गया है, को न्यायालय को सम्मुख हाजिर करने का दिया गया आदेश है।

7.6

1. जनहित याचिका (पी.आई.एल.) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39-A में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका मूल उद्देश्य कानून की सहायता से व्यक्ति को शीघ्र सामाजिक न्याय दिलाना और उसे सुरक्षित रखना है। कोई भी व्यक्ति या पीड़ित जनहित की रक्षा के लिए न्यायालय में गुहार लगा सकता है या जनता के सामान्य हितों की रक्षा करने हेतु न्यायालय स्वत: इसका संज्ञान ले सकता है।

2. (क) प्रदूषण

   (ख) सड़क सुरक्षा

   (ग) रासायनिक खतरा

   (घ) विनिर्माण खतरा

   (ङ) आतंकवाद